कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष 0755-2674206, 2674248, फैक्स 0755-2766315

e-mail: pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/प्रबंध/3686 भोपाल, दिनांक 01/11/2019

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, ग्वालियर
संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
वनमण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी) वनमंडल, नौरादेही

विषयः रेडियो कॉलर किये गये बाघों की सतत् मॉनीटरिंग हेतु निर्देश

——00——

विषयांकित में लेख है कि भविष्य में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा अथवा शोध संस्थानों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु रेडियो कॉलर किये गये बाघों की सुरक्षा एवं सतत् मॉनीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वर्तमान में जिन संरक्षित क्षेत्रों में रेडियो कॉलर्ड बाघों का अनुश्रवण किया जा रहा हो, वे वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त वे बिन्दु जिनसे बेहतर अनुश्रवण एवं सुरक्षा में मदद मिले उनका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

1. रेडियो कॉलर किये गये बाघों की सतत् मॉनीटरिंग हेतु प्रबंधन द्वारा 3 सदस्यीय दल गठित किये जाएंगे। प्रत्येक दल में एक वाहन चालक तथा दो रेडियो ट्रेकर होंगे। इसके अतिरिक्त ट्रेकिंग दल को एक चार पहिया ट्रेकिंग वाहन आवंटित किया जाएगा।
2. प्रत्येक दल 8–8 घंटे की ड्यूटी करेगा। प्रत्येक बाघ हेतु 4 दल बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक दल हेतु विभिन्न दिवसों में भिन्न समय पर ड्यूटी आएगी।
3. प्रत्येक दल ड्यूटी अवधि में प्रत्येक 15 मिनट बाद बाघ की उपस्थिति संबंधी प्रविष्टि मॉनीटरिंग पंजी में करेगा।
4. प्रत्येक रेडियो कॉलर्ड बाघ हेतु परिक्षेत्राधिकारी से अनिम्न स्तर का अधिकारी मॉनीटरिंग प्रभारी होगा।
5. ड्यूटी दल परिवर्तित होने के समय प्रभार देने वाला दल प्रभार लेने वाले दल को बाघ की उपस्थिति के पुष्ट सिग्नल उपलब्ध होने का प्रमाण देगा तथा प्रभार लेने वाले दल का दायित्व होगा कि वह प्रभार तभी लेवे जब उसे बाघ की उपस्थिति के स्पष्ट सिग्नल मिल

रहे हों। प्रभार पर्ची में इस आशय के कथन के साथ प्रभार लेने वाला दल हस्ताक्षर करेगा।

6. यदि प्रभार परिवर्तन के समय अथवा अन्य किसी भी समय 4 घंटे से बाघ के सिग्नल नहीं मिलें तो दल मॉनीटरिंग प्रभारी को सूचना देगा। इसके अतिरिक्त मॉनीटरिंग अवधि में किसी भी प्रकार की असामान्य घटना होने पर मॉनीटरिंग प्रभारी को अवगत कराया जाएगा।

7. मॉनीटरिंग प्रभारी सूचना मिलने पर अन्य उपलब्ध संसाधनों यथा हाथी, ड्रोन, जीपीएस लोकेशन (यदि जीपीएस कॉलर हो तो) के द्वारा बाघ को तलाशे जाने में दल को सहयोग करेगा तथा आवश्यक होने पर अन्य स्टाफ की ड्यूटी भी लगाएगा।

8. मॉनीटरिंग प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रभार लेने वाला दल बाघ/ट्रेकिंग दल की लोकेशन पर समय पर पहुंचे तथा प्रभार मुक्त होने वाले दल को कार्यमुक्त करे। दलों हेतु आवंटित वाहनों के लिये पीओएल की व्यवस्था करना एवं वाहनों को दुरूस्त रखना भी मॉनीटरिंग प्रभारी का दायित्व होगा। किसी कर्मचारी के अवकाश/अस्वस्थ होने पर वह स्थानीय व्यवस्था से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगा। आकस्मिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रेकिंग ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में अन्य कर्मचारियों को भी ट्रेकिंग करना सिखाया जाए।

9. प्रत्येक दिवस प्रातः 8:00 बजे एवं रात्रि 8:00 बजे क्षेत्र के नियंत्रणकर्ता अधिकारी को दूरभाष/वायरलेस पर सूचना प्रेषित की जाएगी जिसमें विगत 12 घंटों में गतिविधि एवं लोकेशन न मिलने की अवधि से अवगत कराया जाएगा। उक्त सूचना सही एवं समय पर प्रेषित हो यह दायित्व मॉनीटरिंग प्रभारी का होगा। कोई असामान्य घटना होने पर भी मॉनीटरिंग प्रभारी द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी को सूचित करेंगे।

10. बाघ की लोकेशन की वायरलेस अथवा दूरभाष पर चर्चा नहीं की जाएगी। नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें स्थायी फोन अथवा एसएमएस के द्वारा अवगत करावें।

11. रेडियो कॉलर्ड बाघ के कोर/राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य सीमा के 1 कि.मी. या कम दूरी पर आते ही मॉनीटरिंग दल अपने मॉनीटरिंग प्रभारी को अवगत कराएंगे। इस स्थिति पर मॉनीटरिंग प्रभारी सीमा की दूसरी ओर की प्रबंधन इकाई बफर की रेंज, क्षेत्रीय वनमंडल का परिक्षेत्र को अवगत कराएंगे एवं उन्हें अलर्ट पर रहने हेतु कहेंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र

के नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अवगत कराते हुए हाथी या अन्य संसाधनों की आवश्यकता वावत् सूचित करेंगे।

12. माह में कम से कम दो बार वन्यप्राणी चिकित्सक के द्वारा हाथियों की मदद से रेडियो कॉलर्ड बाघ के पास जाकर बाघ के स्वास्थ्य परीक्षण एवं किसी प्रकार की चोट/घाव आदि न होने की पुष्टि की जाएगी।

13. मॉनीटरिंग ड्यूटी के समय दल सदस्य ऊँची आवाज में बात नहीं करेंगे, उनके द्वारा गुटखा, पान, सिगरेट या अन्य प्रकार का मद्यपान आदि नहीं किया जाएगा।

14. मॉनीटरिंग ड्यूटी के समय मॉनीटरिंग वाहन में दल के अतिरिक्त कोई भी अन्य शासकीय कर्मचारी मॉनीटरिंग प्रभारी की अनुमति उपरांत ही बैठ सकेगा। किसी भी स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र/वन विभाग का कर्मचारी नहीं है अथवा उसे नियंत्रणकर्ता अधिकारी/ मॉनीटरिंग प्रभारी के द्वारा ऐसा निर्देशित नहीं किया गया हो, मॉनीटरिंग वाहन में नहीं बैठेगा।

15. 24 घंटे से अधिक अवधि से सिग्नल नहीं मिलने पर इसकी सूचना वन्यप्राणी मुख्यालय को दी जाएगी।

16. यदि एसएफआरआई, डब्ल्यूआईआई अथवा अन्य किसी संस्था के अध्येता उस रेडियोकॉलर बाघ का अनुश्रवण कर रहे हों तो उनके द्वारा भी उक्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हालांकि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा के आधार पर वे कर्मचारियों की संख्या अथवा ड्यूटी अवधि बदल सकेंगे किंतु रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल आदि इस अनुसार ही रहेगा।

उक्त निर्देश एक सामान्य जेनेरिक निर्देश हैं। क्षेत्र के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उक्त के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना अथवा व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त निर्देश जारी करना आदि किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

02.11.2019

(जसबीर सिंह चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल.